न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास गजेन्द्र सिंह राठौड, आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर)

अपील एल0आर0 एक्ट संख्या :-286/2020/टोंक

चन्द्रशेखर पुत्र श्री रामपाल विजय, उम्र लगभग 70 साल, जाति महाजन, निवासी निवाई, तहसील निवाई, जिला टोंक।

--अपीलांट

बनाम

1. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, निवाई।
2. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका निवाई।

——रेस्पोडेन्टस

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध विद्वान निर्णय जिला कलक्टर, टोंक, प्रकरण संख्या 55/18 निर्णय दिनांक 03.02.2020 एवं तहसीलदार निवाई दिनांक 19.03.2005 अन्तर्गत प्रकरण संख्या 1780/2005

उपस्थित अभि0ः–श्री मुकेश जैन (वकील अपी0)
श्री लोकपाल सिंह(वकील रेस्पो0 नम्बर 2)
श्री एम0एल0 गुर्जर(वकील रेस्पो0 नम्बर 1)
श्री आकाश पारीक(राजकीय अभि0)

निर्णय दिनांकः–25.08.2022

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि नगरपालिका क्षेत्र निवाई में अपीलांट के कब्जे में एक दुकान है। जो कि अपीलांट महावीर मेडिकल स्टोर के नाम से चलाता है। उक्त दुकान बनी हुई थी जिसे अपीलांट के द्वारा दिनांक 15.09.1977 को 107 रूपये प्रतिमाह की दर से नीलामी छुड़ाने पर उसके द्वारा किराये पर ली गई थी। नीलामी आदेश दिनांक 15.09.1977 का ही था। उक्त दुकान का व्यवसायिक लाइसेंस वर्ष 1978–79 दिनांक 07.11.1978 को जारी कर अपीलांट का संभला दिया। नगरपालिका निवाई ने लीज एग्रीमेंट भी जारी किया। लीज की शर्तों के अनुसार 10 प्रतिशत वृद्धि राशि, वर्ष 1977 से 1978 तक उसके द्वारा जमा करवाया जाता रहा। दिनांक 04.06.2003 को नगरपालिका निवाई की समझौता समिति की मीटिंग में उपरोक्त दुकान को [illegible] 99 वर्ष की लीज पर ली जाने हेतु प्रस्ताव पारित किया। समझौता समिति के निर्णय की पालना में दिनांक 06.06.2003 को अपीलांट द्वारा 32730 रूपये [illegible] राशि समझौता शुल्क राशिया जमा करवायी तथा दिनांक 14.01.2004 को 12100 रूपये लीज राशि भी नगरपालिका निवाई में जमा करवा दी। तहसीलदार निवाई द्वारा प्रकरण संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:42:31 IST
Reason: SelfAttested

1780/2005 में अपीलांट के विरूद्ध आदेश पारित करके सहायक अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग निवाई को अपीलांअ द्वारा सड़क सीमा में किये गये अतिक्रमण को विधवंस कर बेदखल करने का निर्णय दिनांक 14.03.2005 को सुनाया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलांट द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 75 के तहत अपील जिला कलक्टर टोंक के यहां प्रस्तुत की जो दिनांक 03.02.2020 को निरस्त कर दी गई। उस आदेश से व्यथित होकर निम्न आधारो पर द्वितीय अपील प्रस्तुत की जा रही है–

1. तहसीलदार को शहरी क्षैत्र में स्थित भूमि पर किसी प्रकार कोई आदेश पारित करने का अधिकार नहीं है तहसीलदार सिर्फ कृषि भूमि जो कि सिवायचक हो उस पर यदि किसी व्यक्ति द्वारा अतिक्रमण किया जाता है तो उसके लिए धारा 91 के तहत कार्यवाही की जा सकती है।

2. अपीलांट द्वारा उक्त दुकान के संदर्भ में उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका संख्या 8897/2005 प्रस्तुत की थी। जिसका निर्णय दिनांक 12.07.2018 को हुआ था। उक्त रिक्त याचिका में जिला कलक्टर टोंक को उक्त दुकान पर अपीलांट के पुराने कब्जे को देखते हुए अपील का निर्णय करने के लिए निर्देश दिया गया, मगर जिला कलक्टर टोंक द्वारा निर्देश की पालना किये बिना निर्णय पारित किया है जो न्यायालय के निर्देश की अवहेलना है।

3. अपीलांट द्वारा तहसीलदार के आदेश दिनांक 14.03.2005 के विरूद्ध अपील जिला कलक्टर टोंक के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिसे दिनांक 03.08.2016 को इस आधार पर फाइल कर दिया गया कि मामला उच्च न्यायालय राजस्थान में लम्बित है परंतु अपीलांट को लिबरटी दी गई थी कि वे उच्च न्यायालय में रिट याचिका का निस्तारण होने के पश्चात पुनः अपील करने के लिए स्वतंत्र होगे। इस आधार पर अपीलांट द्वारा जिला कलक्टर टोंक के समक्ष जो अपील प्रस्तुत की गई थी उसको उन्होनें बिना किसी कारण के दिनांक 03.02.2020 को निरस्त कर दिया।

4. अपीलांट द्वारा किसी भी रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है। अपीलांट द्वारा विधिक तरिके से दुकान को प्राप्त किया है।

5. नगरपालिका निवाई द्वारा प्रशासन समिति के प्रस्ताव संख्या 111 दिनांक 10.10.1994 को आधार मानकर नजुल कमिटी के आदेश दिनांक 13.01.1994 को विवादित भूमि को नजराना आदेश दिये जाने को आधार मानकर जिला कलक्टर टोंक में जो निर्णय पारित किया है वह उचित नहीं है। क्योंकि उक्त आदेश दिनांक 13.01.1994 के विरूद्ध निगरानी अतिरिक्त संभागीय आयुक्त अजमेर के यहां प्रस्तुत की गई थी जिसका निर्णय दिनांक 05.12.1997 को हुआ। नगरपालिका निवाई ने निर्णय के विरूद्ध राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट [illegible] प्रस्तुत की है। नगरपालिका निवाई द्वारा अतिरिक्त संभागीय आयुक्त के [illegible] में समझौता समिति व अपीलांट के बीच समझौता होकर जिसके आधार पर प्रस्ताव संख्या 1 पारित किया गया। जिसमें अपीलांट को 99 वर्ष पर उक्त दुकान की लीज पर लेने का निर्णय लिया गया। उक्त समझौता समिति मे लिये गये निर्णय का अनुमोदन दिनांक 19.12.2021

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:42:31 IST
Reason: SelfAttested

डी0एल0बी के द्वारा ली जाने के पश्चात नगरपालिका निवाई ने दिनांक 23.05.2005 को राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन रीट याचिका वापस ले ली। इस आधार पर राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा नगरपालिका निवाई की रीट याचिका निरस्त कर दी। उक्त बातो को न देखते हुए जिला कलक्टर टोंक द्वारा जो निर्णय दिया गया है वह विधिसम्मत नहीं है।

6. निवाई कस्बे में बाईपास बनने के पश्चात शहर का रोड़ अरबन सिटी रोड़ होने से हाईवे की श्रेणी में नहीं आता है। वास्तव में भूमि रास्ते की है ही नही है। यह भूमि नगरपालिका सीमा में है तथा यह भूमि नगरपालिका की ही कहलायेगी। उक्त भूमि को गैरमुमकिन रास्ता बताया गया है। जिसके दोनो ओर दुकान और मकान बने हुए है। रिपोर्ट पटवारी में खसरा नम्बर 3858 का रकबा 1 बिघा 18 बिस्वा भूमि गैर मुमकिन सड़क बताई गई है। उक्त भूमि शहर के बीचो–बीच बस स्टैंड के पास स्थित है तथा इस भूमि पर बनी हुई दुकान राष्ट्रीय राजमार्ग बनने से पूर्व ही नगरपालिका निवाई द्वारा उन्हें किराये पर दी तथा उसके पश्चात समझौते के तहत लीज पर दी गई।

7. रोड़ के मध्य से अपीलांट की दुकान 30 फिट की दूरी पर है, जबकि इसी खसरा नम्बर में बहुत सारी दुकाने और मकान 20 फिट की दूरी पर है। दिनांक 28.06.2012 को एक MOU सार्वजनिक निर्माण विभाग और नगरपालिका के मध्य निस्पादित किया गया। जिसमें निवाई सिटी सड़क को सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा नगरपालिका निवाई को हस्तानांतरित कर दिया। अतः अब सार्वजनिक निर्माण विभाग को कोई अधिकार नहीं था इस बात को जिला कलक्टर टोंक द्वारा नहीं देखा गया। अंत में यह निवेदन किया कि तहसीलदार निवाई का निर्णय दिनांक 19.03.2005 एवं जिला कलक्टर के निर्णय दिनांक 03.02.2020 को निरस्त करते हुए अपीलांट की अपील स्वीकार की जायें।

अपील के साथ अपीलांट द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया तथा मुख्य रूप से उनके द्वारा यह बताया गया कि विधिपूर्वक विवादित दुकान का मालिक है तथा धारा 91 के तहत तहसीलदार निवाई को क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है तथा उसे अतिक्रमी मानते हुए जो निर्णय दिया गया है वह विधिविरूद्ध होने से जिला कलक्टर टोंक के आदेश दिनांक 03.02.2020 को अपील के निर्णय होने तक स्थगित रखा जायें। नही ंतो अपीलांट को अपूरणीय क्षति होगी, साथ ही सुविधा का संतुलन एवं प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में होने से अपील स्वीकार की जायें।

अपीलांट द्वारा जिला कलक्टर टोंक के निर्णय दिनांक 03.02.2020 द्वारा तहसीलदार निवाई के निर्णय दिनांक 19.03.2005 की प्रमाणित प्रतिलिपी प्रस्तुत की। साथ ही निलामी सूचना नगरपा[illegible] 05.08.1977 फर्द–नीलामी बोली दुकान पुख्ता दिनांक 16.08.1977,17.08.1977 [illegible] प्रमाणित प्रतिलिपी प्रस्तुत की है।

न्यायालय में अपील प्राप्त होने पर [illegible] से दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये, रिकार्ड तलब किया जाकर प्राप्त किया गया। दिनांक 12.02.2020 अपीलांट के स्थगन प्रार्थना पत्र पर एकपक्षीय सुनवाई

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:42:31 IST
Reason: SelfAttested

करते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थगन पीठासीन अधिकारी द्वारा खारिज कर दिया गया। इस बात से रूष्ट होकर अपीलांट द्वारा एक निगरानी अंतर्गत धारा 84 सपठित धारा 9 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अतिरिक्त संभागीय आयुक्त अजमेर के आदेश दिनांक 12.09.2020 प्रकरण संख्या 286/2020 में राजस्व मण्डल अजमेर में दायर की गई। इस पर निर्णय करते हुए राजस्व मण्डल ने राजस्व रिकोर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने के लिए एवं तुरंत अपील का निस्तारण एक माह की अवधि में करने का आदेश दिया गया।

वकील अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 3,9 सपठित धारा 151 जाफता दिवानी मय धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट चन्द्रशेखर का स्वर्गवास दिनांक 04.04.2021 को हो चुका है। जिसके निम्न वारिस है–मनोज कुमार विजय पुत्र चन्द्रशेखर, सुनिता विजय पुत्री चन्द्रशेखर, अनीता विजय पत्नि शैलेष विजय, नरेन्द्र विजय पुत्र चन्द्रशेखर, मथुरा विजय पुत्री चन्द्रशेखर समस्त निवासी ई ई–25 , दीनदयाल कॉलोनी, निवाई प्रार्थना पत्र के अनुसार मृतक के वारिसान का राईट टू स्यू सरवाइव करता है। इस कारण मृतक के स्थान पर उक्त वारिसान को रिकोर्ड पर लिया जाना आवश्यक है।

प्रकरण की पैरवी चन्द्रशेखर स्वयं किया करते थे इस कारण प्रार्थीगणों को उक्त प्रकरण की पूर्व में जानकारी नहीं दी। अजमेर से तारीख पेशी का पत्र प्राप्त होने पर जानकारी हुई। जिस पर अपने वकील से चर्चा कर कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र तैयार कर प्रस्तुत कर रहा हूं। अतः देरी को क्षमा करते हुए। अपील में स्वतः हुए अबेटमेंट को निरस्त किया जायें। अपील का निर्णय गुणावगुण पर किया जाये।

बहस बहुपक्षीय अभि0 सुनी गई, बहस के दौरान वकील अपीलांट ने बताया कि हमारे द्वारा कोई अतिक्रमण नहीं किया। भूमि नगरपालिका क्षेत्र में होने से तहसीलदार का कोई क्षेत्राधिकार नहीं बनता है। दिनांक 20.09.1977 को सर्वप्रथम हमें 6 महिने के लिए दुकान किराये पर दी गई थी। समझौता समिति द्वारा दिनांक 04.06.2003 को नियमन करने का निर्णय सर्वसम्मति से पारित किया गया था। दिनांक 06.06.2003 को 12100 रूपये जमा कर लिये गये। दिनांक 14.01.2004 को लीज डीड की राशि 22730 रूपये जमा करवाये गये। पीड0डब्लय0डी द्वारा 2005 में शिकायत की गई। तहसीलदार द्वारा अपने निर्णय में नगरपालिका को पक्षकार नहीं बनाया गया। हम जिला कलक्टर के यहां हाईकोर्ट रिट याचिका निस्तारण के बाद गये। रेस्पो0 को वहां पर सारे आक्षेप उठाने थे। पहले उक्त जगह पर चुंगी नाका था बाद में चुंगी नाका अन्य जगह शिफट कर दिया गया। अन्य दुकाने और बनी हुई है। अन्य दुकानों को भी नगरपालिका द्वारा लीज डीड जारी की गई है। दिनांक 13.01.1994 को अतिरिक्त संभागीय आयुक्त [illegible] द्वारा पट्टे देने बाबत निर्देश दिया गया था। उच्च न्यायालय [illegible] तक रोक दिया गया था तथा राजस्व मण्डल द्वारा भी अपील [illegible] गया था। विवादित खसरा नम्बर 3858 है। नगरपालिका निवाई द्वारा मुझे [illegible] दुकान दी हुई है। दुकान पहले से बनी हुई थी। खुली नीलामी में बनी हुई दुकान हमें मिली। महावीर मेडिकल के

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:42:31 IST
Reason: SelfAttested

नाम से दुकान संचालित है। सहायक अभियंता पी0डब्ल्यू0डी0 द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया था। जिसमें सड़क के मध्य से 50 फिट के अंदर दुकान बताई गई थी। तहसीलदार द्वारा प्रकरण दर्ज करके नोटिस जारी किये गये। रेस्पो0 नम्बर 1 के अभि0 द्वारा बताया गया कि वादग्रस्त खसरा नम्बर 3858 , ग्राम निवाई का है। उक्त खसरा नम्बर सार्वजनिक उपयोग का होकर पी0डब्लयू0डी के नाम है। 10 फिट गुणा 7 फिट की दुकान है। सार्वजनिक निर्माण विभाग की शिकायत पर तहसीलदार निवाई द्वारा बेदखली का आदेश पारित किया गया था। जनहित याचिका हाईकोर्ट द्वारा खारिज कर दी गई। जिला कलक्टर टोंक के यहां अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत की गई। जिसे दिनांक 03.02.2020 को जिला कलक्टर टोंक द्वारा खारिज कर दिया गया। अतिरिक्त संभागीय आयुक्त न्यायालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई। जिसमें अंतरिम स्टे दिनांक 12.02.2020 को खारिज किया गया। अतिरिक्त संभागीय आयुक्त द्वारा कोई स्टे नहीं दिया गया। दिनांक 24.02.2020 को राजस्व मण्डल अजमेर में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत की गई निगरानी को खारिज करते हुए एक माह में अपील के निस्तारण के निर्देश दिये गये। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत स्थानांतरण प्रार्थना पत्र भी राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। अपीलांट का कोई टाइटल नहीं है। उक्त खसरा नम्बर 3858 गैरमुमकिन सड़क होकर भारत सरकार के नाम दर्ज है। नगरपालिका को उक्त भूमि की लीज करने बाबत कोई अधिकार नहीं है। नियमन नहीं किया जा सकता है। इन दो दुकानों के अलावा सारी दुकाने हटा दी गई है। भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ है। मौका रिपोर्ट तहसीलदार द्वारा बनाई गई थी। खसरा नम्बर 3858 से 1872 से जुड़ा हुआ है। उक्त भूमि भी नगरपालिका के नाम दर्ज नहीं है। रेस्पो0 नम्बर दो की तरफ से उनके अभि0 लोकपाल सिंह द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई, उनके अनुसार उक्त दुकान का लाइसेंस रद्द हो चुका है एवं नगरपालिका द्वारा इनको हटाने का नोटिस दिया जा चुका है तथा जिला कलक्टर टोंक द्वारा जो आदेश पारित किया गया है वह पूर्ण रूप से सही है।

बहस बहुपक्ष अभि0 सुनी गई, तहसीलदार निवाई के निर्णय दिनांक 19.03.2005 का अवलोकन किया गया उक्त निर्णय का ऑपरेटिव भाग निम्नानुसार है–''**राजस्व रिकोर्ड, नकल जमाबंदी संवत 2058 लगायत 2061 के अनुसार खसरा नम्बर 3858 गैरमुमकिन सड़क व खसरा नम्बर 1872 चिकित्सा विभाग की सरकारी भूमि है। नक्शा ट्रेस के अनुसार खसरा नम्बर 3858 व 1872 एक–दूसरे से सटी हुई है जिनके मध्य कोई आबादी/नगरपालिका/खातेदारी अधिकारों की भूमि नहीं है। इस भूमि को नगरपालिका द्वारा पट्टा/नजराना/लीज अथावा किराये पर दिये जाने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसी स्थिति में इस भूमि पर अप्रार्थी को कोई स्वामित्व,अधिकार व हित हासिल नहीं होता है एवं यदि उसने छल कपट से कोई दस्तावेज नगरपालिका से हासिल कर भी लि[illegible] वह क्षेत्राधिकार के बहार का अवैधानिक प्रस्ताव है। अप्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर 3858 व सड़क सीमा की सार्वजनिक भूमि पर दुकान लगाकर अतिक्रमण किया है तथा वह अतिक्रमी की सीमा में आता है। उसे इस सीमा भूमि की खसरा नम्बर 3858 व सड़क सीमा से बेदखल किया जाता है तथा उक्त भूमि पर किये गये निर्माण को विधवंस किये**

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 1[illegible]:31 IST
Reason: SelfAttested

जाने के आदेश दिये गये। समझौता समिति दिनांक 15.06.2000 के उस समय के सदस्यो के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करावें।''

जिला कलक्टर टोंक के निर्णय दिनांक 03.02.2020 का अवलोकन किया। जिला कलक्टर के निर्णय के पैरा–7 के अनुसार रेस्पो0 नम्बर 2 (नगरपालिका निवाई)के अभि0 द्वारा यह माना गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्य मार्ग की सार्वजनिक उपयोग की भूमि को बेचान भूमि किराये पर दिये जाने का अधिकार नगरपालिका को नही है। विवादित दुकान नेशनल हाईवे रोड़ पर स्थित होने से नजुल समिति द्वारा दिनांक 13.01.1994 को निरस्त कर दी गई। साथ ही यह भी निवेदन किया कि भूमि को लेकर माननीय उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की गई थी जिसमे माननीय उच्च न्यायालय जयपुर ने अपने निर्णय दिनांक 20.11.1996 के द्वारा भूमि पर किये गये अतिक्रमणों को हटाये जाने के निर्देश दिये गये। इस पर अतिक्रमियों ने एस0बी0सी0 रिव्यू पीटीशन माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की जो दिनांक 22.07.2005 को निरस्त हो चुकी है। जिला कलक्टर टोंक के निर्णय के पैरा–13 के अनुसार खसरा नम्बर 3858 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा गैरमुमकिन सड़क है और परिवहन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के नाम दर्ज रिकोर्ड है। जिला कलक्टर टोंक के निर्णय के पैरा–11 के अनुसार स्वायत शासन विभाग की अधिसूचना दिनांक 01.12.1968 द्वारा नगरपालिका क्षेत्र में सरकारी सड़क सीमा के मध्य से दोनों ओर 50–50 फिट भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ सुरक्षित रखे जाने का प्रावधान है। जिला कलक्टर टोंक के निर्णय के पैरा–14 के अनुसार राजस्व विभाग राजस्थान जयपुर की अधिसूचना प.9(6)राज.–6/13 दिनांक 02.07.2004 के तहत राजस्व रिकोर्ड में अधिसूचना प्रमाण प.9(69)राज.–4/74 दिनांक 20.01.1975 के द्वारा धारा 91 की जो शक्तियां सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहायक अभियंताओं को दी गई थी, वह वापस लेकर संबंधित तहसीलदार व नायब तहसीलदार को प्रदत्त कर दी गई एवं राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 88 व 103 के तहत सार्वजनिक सड़क मार्ग आदि पर अतिक्रमण होने की स्थिति में धारा 91 के तहत कार्यवाही करने का अधिकार संबंधित तहसीलदार को प्रदत्त है। नगरपालिका निवाई की सक्षम प्रशासन समिति द्वारा प्रस्ताव संख्या 111 लेकर अपीलांट के पक्ष में पारित लीज दिनांक 10.10.2016 निरस्त कर दी है। एम0ओ0यू0 दिनांक 28.06.2012 के अनुसार निवाई सिटी सड़क (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग) किलोमीटर 65/0 (वनस्थली मोड़) से 71/0 (दशहरा मैदान) 2 लैन/सीसी सड़क कुल लम्बाई 6 किमी0 सीर्फ नियमित रखरखाव, नवीनीकरण ,शुद्रढ़ीकरण तथा चौड़ाईकरण एवं उन्नयन का कार्य नगरपालिका निवाई द्वारा किया जायेगा। उक्त एम0ओ0यू राज्य सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग के आदेश दिनांक 10.04.2012 की पालना में सहायक अभि0 सार्वजनिक निर्माण विभाग उपखण्ड निवाई एवं अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका निवाई के मध्य किया गया। उक्त एम0ओ0यू में भी नगरपालिका को भी स्वामित्व का अधिकार नहीं दिया गया है। अतः अपीलांट को एम0ओ0यू के [illegible] लाभ नहीं मिल सकता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:42:31 IST
Reason: SelfAttested

वर्तमान अपील जिला कलक्टर टोंक द्वारा प्रकरण संख्या 56/2018 निर्णय दिनांक 03.02.2020 के विरूद्ध अपीलांट लेकर आया है। अपीलांट का यह मानना है कि एक दुकान लीज पर उनको नगरपालिका निवाई द्वारा दी गई है। वे अतिक्रमी नहीं है। दूसरा उनका यह कहना है कि और भी दुकाने उक्त खसरा नम्बर पर रोड़ पर बनी है। बहस के दौरान रेस्पो0 वकील द्वारा यह बताया गया कि विवादित क्षेत्र में मात्र दो ही दुकाने बची है। जिनमें से एक अपीलांट की दुकान है। अपीलांट ने बहस में यह भी बताया है कि नियमन बाबत भी ए0डी0सी न्यायालय द्वारा पूर्व में निर्देश दिये थे। इसका सीधा अर्थ यही है कि अपीलांट मालिक नहीं है और किरायेदार है। मगर राजस्व रिकोर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है की उक्त दुकान खसरा नम्बर 3858 गैर मुमकीन सड़क एवं खसरा नम्बर 1872 अस्पताल की सड़क बाउन्ड्री हेतु छोड़ी गई भूमि में बताया गया है। इन दोनों खसरा नम्बरान के मध्य अन्य कोई आबादी अथवा नगरपालिका की भूमि नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्य मार्ग की सार्वजनिक उपयोग की भूमि को बेचान/किराये पर दिये जाने का कोई अधिकार नगर पालिका को नहीं था। अतः नजुल कमिटी द्वारा पूर्व निर्णय को निरस्त कर दिया गया। इस संबंध में न्यायालय जिला कलक्टर टोंक के प्रकरण संख्या 32/2005 निर्णय दिनांक 05.09.2006 मदन गोपाल बनाम सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग निवाई की प्रति पेश कर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया कि उक्त विवादित खसरा नम्बर 3858 को लेकर न्यायालय जिला कलक्टर टोंक द्वारा निर्णय पारित कर प्रार्थी की अपील खारिज की गई है। साथ ही यह भी निवेदन किया कि इसी भूमि को लेकर माननीय उच्च न्यायालय जयुपर ने अपने निर्णय दिनांक 20.11.1996 के द्वारा भूमि पर किये गये अतिक्रमणों को हटाये जाने के निर्देंश दिये गये थे। इस पर अतिक्रमियों ने एस0बी0सी रिव्यू पिटीशन माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की जो दिनांक 22.07.2005 को निरस्त हो चुकी है।

एक अन्य आक्षेप वकील अपीलांट द्वारा बताया गया कि धारा 91 एल0आर0एक्ट के तहत तहसीलदार सिर्फ कृषि भूमि के संबंध में ही कार्यवाही करने के लिए अधिकृत है। जबकि राजस्व विभाग राजस्थान ,जयपुर की अधिसूचना पत्रावली–9(6)राज–6/13 दिनांक 02.07.2004 के तहत राज्य सरकार ने अधिसूचना क्रमांक पत्रावली 9(69)राज–4/74 दिनांक 30.01.1975 के द्वारा धारा 91 की जो शक्यिां पी0डब्लयू0डी के सहायक अभियंता को दी थी वह पुनः तहसीलदार व नायब तहसीलदार को दे दी गई है। एल0आर0एक्ट की धारा 88 व 103 के तहत सार्वजनिक सड़क मार्ग आदि पर अतिक्रमण होने की स्थिति में धारा 91 के तहत कार्यवाही करने का अधिकार संबंधित तहसीलदार को दिया हुआ है। सार्वजनिक निर्माण विभाग व नगरपालिका निवाई के मध्य एक मैमारेण्डम को अण्डस्टेडिंग दिनांक 28.06.2012 को निस्पादित किया गया है। जिसमें निवाई सिटी सड़क को नगरपालिका निवाई हस्तानांतरित किया गया [illegible] कि भूमि गैर मुमकिन सड़क के रूप मे और परिवहन मंत्रालय भारत सरकार दिल्ली [illegible] नाम दर्ज है। जमाबंदी संवत 2058–61 में यह बात स्पष्ट है। [illegible] फिट की सीमा में कोई निर्माण नियमों के तहत नहीं किया जा सकता है। मगर नगरपालिका द्वारा बिना विधिक अधिकार के उक्त भूमि लीज पर दी गई थी। उक्त लीज नगरपालिका द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:42:31 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्ताव संख्या 111 दिनांक 10.10.1994 से किराया लाइसेंस प्रशासन समिति द्वारा निरस्त कर दिया गया। भूमि नगरपालिका के नाम कभी भी दर्ज नहीं रही है। उसे किराये पर देने का कोई अधिकार नही था। एम0ओ0यू दिनांक 28.06.2012 में भी यह कहा गया है कि नगरपालिका निवाई उक्त सड़को को सार्वजनिक सड़क मार्ग उपयोग में ही ले सकेगा तथा सड़क का नियमित रखरखाव, सुद्रढीकरण, उन्नयन का कार्य नगरपालिका द्वारा किया जा सकता है। अपीलांट का कोई स्वामित्व विवादित भूमि पर किसी प्रकार से सिद्ध नही होता है। अपील खारिज योग्य है।

अपील कार्यवाही के दौरान प्रार्थी नरेन्द्र विजय द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3,9 सपठित धारा 151 सीपीसी मे धारा 5 विवाद अधिनियम इस आशय की पेश की अपीलांट चन्द्रशेखर का स्वर्गवास दिनांक 04.04.2021 को हो चुका है। जिसके वारिसान निम्न है। मनोज कुमार विजय पुत्र चन्द्रशेखर सुनिता विजय पुत्री चन्द्रशेखर, नरेन्द्र विजय पुत्र चन्द्रशेखर, मथुरा विजय पुत्री चन्द्रशेखर, अनिता विजय पत्नि शेलेष विजय समस्त निवासी ई0ई0एफ–1 निवासी दीनदयाल कोलोनी, निवाई जिला टोंक यह बताया कि मृतक के वारिसान को राईट टू स्यू सरवाइव करता है। इस कारण मृतक के स्थान पर उक्त वारिसानों को रिकोर्ड पर लिया जाना आवश्यक है। यह बताया कि उक्त प्रकरण की पैरवी चन्द्रशेखर स्वयं करते थे। इस वजह से प्रार्थीगण को प्रकरण की पूर्व में जानकारी नहीं थी। अजमेर से वकील साहब का तारीख पेशी का पत्र प्राप्त होने पर उक्त प्रकरण की जानकारी हुई। अजमेर आकर वकील साहब से निर्देश प्राप्त कर कायम मुकाम की कार्यवाही हेतु प्रार्थना पत्र तैयार कर प्रस्तुत किया जा रहा है। अबेटमेंट को निरस्त करते हुए गुणावगुण पर निर्णय किया जायें। चन्द्रशेखर का नाम तर्क किया जायें। इसके समर्थन में नरेन्द्र विजय द्वारा अपना शपथ पत्र दिया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3,9 एवं सपठित धारा 151 का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी नरेन्द्र विजय द्वारा बताया गया कि अपीलांट चन्द्रशेखर का निधन दिनांक 04.04.2021 को हो चुका है तथा प्रार्थी द्वारा न्यायालय हाजा में दिनांक 02.03.2022 को उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है। जिसमें उन्होनें निवेदन किया कि वे मृतक के वारिसान है तथा राइट टू स्यू सरवाइव करता है। राइट टू स्यू सरवाइव करने से वारिसान को रिकोर्ड पर लिया जाना प्रस्तुत है तथा स्वर्गीय चन्द्रशेखर की मृत्यु से पूर्व उन्हें उक्त प्रकरण की कोई जानकारी नहीं थी। अब जानकारी प्राप्त होने से वे वर्तमान कार्यवाही कर रहे है। प्रकरण से संबंधित आदेशिका का अवलोकन किया गया। दिनांक 07.04.2021 को अपीलांट व रेस्पो0 1 के वकील उपस्थित थे। दिनांक 07.07.2021, 25.08.2021, 22.09.2021,20.10.2021 ,17.11.2021,15.12.2021,23.02.2022 को वकील अपीलांट की उपस्थिति पायी जाती है। वकील अपीलांट द्वारा दिनांक 02.03.2022 को उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा यह कहना है कि कायम मुकाम प्रार्थना पत्र पेश करने में विलम्ब हुआ है(कोरोना महामारी एवं लोकडाउन के कारण) उसे क्षमा किया जाये, यह उचित नहीं जान पड़ता है क्योंकि वकील अपीलांट उपस्थित होते रहे है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:42:31 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तुत प्रकरण धारा 91 एल0आर0एक्ट के आदेश के विरूद्ध अपीलांट द्वारा द्वितीय अपील के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तहसीलदार निवाई द्वारा खसरा नम्बर 3858 पर चन्द्रशेखर के द्वारा सड़क की सीमा के 50 फिट के अन्दर अतिक्रमण कर दुकान संचालित करने के संदर्भ में दिया गया है। अतिक्रमित स्थल नगरपालिका के स्वामित्व का न होकर भारत सरकार के सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के नाम दर्ज भूमि का हिस्सा है। चूंकि चन्द्रशेखर द्वारा अतिक्रमण किया जाकर दुकान बनाई गई है। अतः प्रोसिडिंग इसी के विरूद्ध इनिसियट की गई थी। चन्द्रशेखर के अतिक्रमी होने से उक्त कार्यवाही शुरू हुई थी ,प्रार्थी नरेन्द्र विजय द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार चन्द्रशेखर की मृत्यु दिनांक 04.04.2021 को हो चुकी है। अतः अब उसके नाम से चल रही प्रोसिडिंग में कोई कार्यवाही आगे संभव नहीं है। चूंकि नरेन्द्र विजय द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में दर्ज व्यक्तियों के विरूद्ध इस समय कोई नोटिस सक्षम अधिकारियों द्वारा इसी दुकान बाबत पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। आरआरडी 1991 पेज 130 चन्दगीराम के वारिस बनाम राजस्थान सरकार में दिये गये न्यायिक दृष्टांत के अनुसार जो कि उनके द्वारा एल0आर0एक्ट धारा 91 के तहत दिया गया है–

Unauthorised occupation of Govt. land is a personal misfeasance of the trespasser and an action against him for such misfeasance abates with his death.

(Actio personalis moritur cum persona)-The legal representatives cannot challenge the order of ejectment passed against the deceased but he can challenge the order imposing penalty since he is liable under Hindu Law to pay the fine to the extent of his inheritance.

वर्तमान प्रकरण में भी यही स्थिति पाई जाती है, अतिक्रमी चन्द्रशेखर की मृत्यु दिनांक 04.04.2021 को हो चुकी है और इसकी मृत्यु के बाद अपील की कार्यवाही जारी नहीं रखी जा सकती। उसके उत्तराधिकारी अतिक्रमी के विरूद्ध बेदखली के आदेश को चेलेंज नहीं कर सकते है। अपील इसी अनुसार खारिज योग्य है।

इनके संबंध में कोई विचार किया जाना संभव नहीं है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3,9 सपठित धारा 151 सीपीसी खारिज किया जाता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:42:31 IST
Reason: SelfAttested

<u>क्रियात्मक आदेश</u>

अपील संख्या 286/2020 बउनवानी चन्द्रशेखर बनाम सहायक अभियंता एवं अन्य में अपीलांट की मृत्यु हो जाने से , में अब अग्रिम कार्यवाही नहीं की जा सकती है। अपील इसी अनुसार निस्तारित की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 25.08.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:42:31 IST
Reason: SelfAttested